

33
457/15/225

मुप्यार ववास लेजा देवी

तारीख पेशी	बनाम 105/60203 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री <u>श्री-एन. राम</u> श्री <u>वि.ए.ए. राम</u>	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.10.18	<p>प्रभावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोंडेन्ट की अपील में बहस सुनी गई।</p> <p>अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को दिनांक 08.10.2015 को दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को विवादित आराजी को रहन, बेचान नहीं करने एवं विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने के आदेश पाबंद कर, अप्रार्थीगण की तलबी हेतु पेशी दिनांक 30.11.2015 नियत की गई। अभिभाषक अपीलांट ने दिनांक 08.10.2015 के आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण प्राथमिक स्तर पर विचाराधीन हैं और प्रकरण में अप्रार्थीगण की तलबी होनी शेष हैं तथा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना है। अभिभाषक अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अन्तरिम आदेश के विरुद्ध न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दी, जो पोषणीय नहीं है किन्तु पक्षकारान के समय एवं आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, हम प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इसी स्तर पर निर्णित कर, प्रार्थना पत्र का 30 दिवस में निस्तारण करने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं। अतः प्रकरण विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट (अस्थायी निषेधाज्ञा) का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें। तब तक विवादित आराजी को रहन, बय व मुन्तकिल नहीं करने हेतु उभयपक्षकारान को पाबंद किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का निस्तारण होने पर न्यायालय हाजा का आदेश को स्वतः निष्प्रभावी माना जावे। आदेश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे। मिसल फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर</p>	<p>अभिभाषक, 457/15/225 2564 दि-19-11-18 दूदू का ए.ए.ए. राम</p>